राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रमेशचन्द / जे.डी.ए.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 221/2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/9/21	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। रेस्पो. जे.डी. ये. का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ। उन्हें बार-बार आवाजे लगवाये जाने पर उनकी और से कोई उपस्थित नही। रेस्पो. संख्या 3 की और से राजकीय पैरोकार उपस्थित आये। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से यही निवेदन किया की विवादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी/अपीलार्थी के दादा-दादी कालान्तर से काबिज काश्त चले आ रहे है, जिसका अंकन कब्जा परिवर्तनशील में चला आ रहा था एवं प्रार्थी/अपीलार्थी ने दादा-दादी व माता-पिता के समय से कच्चे खामघर, गुवाड़ी, रहवास आदि चले आ रहे है। किन्तु उक्त भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज नही कर प्रार्थी के अधिकारों को के विपरीत अन्यत्र दर्ज कर दी गयी जिसकी खातेदारी अपीलार्थी के नाम दर्ज किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। जिसके निस्तारण से पूर्व यदि अपीलार्थी को उसके रहवास से वंचित किया जाता है तो उसे अपूर्तनीयक्षति कारित होगी। अत: विवादग्रस्त भूमि की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिए जावे। जिस पर अधिवक्ता राजकीय पैरोकार ने मुख्य रूप से यही निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई ढोस आधार पेश नही किया है की जिससे उनके पक्ष में अस्थाई निशेधाज्ञा का कोई आदेश दिया जाना संभव होता हो। ऐसेमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही आदेश जैर अपील पारित किया है जिसमे कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नही होने से अपील ख़ारिज फरमाई जावे। हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर यह उचित प्रतीत होता है कि प्रशनगत भूमि पर अपीलार्थी के कदीम से चले आ रहे रहवास से उन्हें प्रकरण की इस स्टेज पर खुर्द-बुर्द किया जाता है तो उन्हें अपूर्तनीयक्षति कारित होगी। इस सन्दर्भ में आदेश जैर अपील के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की ही स्टेज पर कोई सबूत पेश नही किये जाने के आधार पर प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया गया। जबकि यह विधि का सुस्थापित सिद्दांत है कि प्रार्थना पत्र धारा 212 RTACT से सम्बन्धित वाद की एक स्टेज पर साक्ष्य सबूत पेश किये जाने होते है ऐसी परिस्थिति में विचाराधीन प्रार्थना पत्र की इस स्टेज पर अधीनस्थ न्यायालय को मात्र प्रथमदृष्टया मामले का परीक्षण किया जाना आवश्यक था एवं चूँकि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अभी लंबित है ऐसी स्थिति में समस्त तथ्यों का परीक्षण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ही सर्वप्रथम किया जाना ही न्यायोचित समझा जाता है अत: प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे समस्त तथ्यों का प्रथमदृष्टया संज्ञान	

राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रमेशचन्द / वि.डी.टी.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
221/2021		

लेकर दोनों पक्षों की समुचित सुनवाई कर विधिसंवत आदेश पारित करे | उभयपक्षों को जरिये अधिवक्ता यह निर्देश प्रदान किये जाते है की वे दिनांक 29/09/2021 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करे | तब तक न्यायहित में विवादग्रस्त भूमि की मौके की यथास्थिति बनाई रखी जावे | इस हद तक अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो |

आदेश आज दिनांक 09/09/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर